सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र
नई दिल्ली

लोजिस्टिक्स

1. भोजन एवं आवास:

भोजन एवं आवास की व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल पर की जाएगी। निःशुल्क भोजन और आवास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो सभी प्रतिभागियों के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि यह एक 'आवासीय तरीके' का प्रशिक्षण है।

सत्रों की व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल के सभागार में की जाएगी। प्रतिभागी सुबह **9** बजे से शाम **5.30** बजे तक संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम किसी दिन सुबह जल्द आरंभ हो सकते हैं और किसी दिन इनके समापन में देर भी हो सकती है। सीसीआरटी द्वारा भोजन और आवास की व्यवस्था वाले स्थान पर प्रतिभागी अपने रिश्तेदार/परिवार के सदस्य/अनुरक्षक को साथ नहीं ला सकते और किसी भी परिस्थिति में ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

कार्यक्रम स्थल पर महिला शिक्षकों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।

2. **यात्रा भत्ता:**

1. सीसीआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के शिक्षक प्रतिभागी अपने निकटतम रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक, जैसा भी मामला हो, सभी ट्रेनों के एसी **3-** टियर/एसी चेयर कार/स्लीपर क्लास से सबसे छोटे मार्ग से यात्रा करने के हकदार हैं। टिकट का ज़ेरॉक्स जमा करना अनिवार्य है।

2. जो लोग बाहर से बस से यात्रा करते हैं, वे बस टिकट प्रस्तुत करने की शर्त पर डीलक्स बस किराए का दावा करने के हकदार हैं, अन्यथा किराया सामान्य बस किराए तक ही सीमित रहेगा। शिक्षकों से एसी बसों से यात्रा नहीं करना को अपेक्षित है।

3. स्थानीय सड़क यात्रा के लिए यानी स्कूल से रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड तक, प्रतिपूर्ति वास्तविक दूरी के अनुसार या **8** किलोमीटर तक, जो भी कम हो, रूपये **12/-** प्रति किमी.की दर से की जाएगी।

4. निकटतम रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड से प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल तक स्थानीय सड़क यात्रा के लिए शिक्षकों को सीसीआरटी नियम के अनुसार ऑटो/बस किराया दिया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि यदि टिकटों की मूल/फोटोकॉपी टी.ए. के साथ संलग्न है तो रेल/बस किराए की सीसीआरटी द्वारा प्रतिपूर्ति आने और जाने की यात्रा के लिए बिल के अनुसार की जाएगी। ऐसा न करने पर दावा स्लीपर क्लास के रेल किराए तक ही सीमित रहेगा। हवाई किराया/तत्काल/फ्लेक्सी किराया का कोई प्रावधान नहीं है और यदि शिक्षक इनमें से किसी भी माध्यम से यात्रा करते हैं, तो उनका दावा उनकी पात्रता के अनुसार, जैसा मामला हो, यात्रा टिकटों की मूल/छाया प्रति प्रस्तुत करने पर सामान्य रेल किराया यानी एसी-**3** टियर/एसी चेयर कार/स्लीपर क्लास तक ही सीमित रहेगा।

नियमानुसार यात्रा में कोई विराम स्वीकार्य नहीं है। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे अपने निकटतम रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक सीधी यात्रा टिकट खरीदें।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शिक्षक प्रतिभागियों को सीसीआरटी के मानदंडों के अनुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

सीसीआरटी सभी प्रतिभागियों को अनिवार्य रूप से मुफ्त आवास और भोजन सुविधाएं प्रदान करेगा।

* प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर प्रतिभागियों द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति आरटीजीएस/एनईएफटी/ईसीएस के माध्यम से अधिकृत बैंक खाते में अंतरित की जाएगी, इसलिए सीसीआरटी को सही खाता विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षक प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित प्रारूप में सही खाता विवरण भरें और राशि के अंतरण के लिए अधिकृत बैंक को भेजे जाने वाले विवरण में किसी भी गलती से बचने के लिए रद्द किए गए चैक की एक प्रति भी संलग्न करें।

*** भाग लेने वाले शिक्षकों को कोई महंगाई भत्ता (डीए) भुगतान नहीं किया जाएगा।**